-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 15.06.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना जसपुरा पुलिस द्वारा विद्यालय एवं किराने की दुकान में चोरी करने वाले अंतरजनपदीय शातिर अभियुक्त को अवैध तमंचा के साथ किया गया गिरफ्तार। साथ ही घटना में शामिल एक बाल अपचारी को नियमानुसार लिया गया संरक्षण में।**
- **अभियुक्त के कब्जे से चोरी की सरसो, गुटखा व नकद रुपए आदि सहित अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व क्षेत्राधिकारी सदर श्री सौरभ सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 15.06.2026 को रात्रि को थाना जसपुरा पुलिस द्वारा राजकीय हाईस्कूल व किराने की दुकान में चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त को अवैध तमंचा व चोरी के सामानों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही घटना में शामिल एक बाल अपचारी को भी नियमानुसार संरक्षण में लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना जसपुरा क्षेत्र के ग्राम गड़रिया के रहने वाले कृष्ण कुमार ने दिनांक 28.05.2026 थाना जसपुरा पर सूचना दी कि रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके किराने की दूकान में चोरी कर ली गई है। जिसके सम्बन्ध में थाना जसपुरा पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। तथा अभियुक्तों की पहचान एवं गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 15.06.2026 को थाना जसपुरा पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जसपुरा से ग्राम झंझरी जाने वाले मार्ग के जंगल में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के बोरियों में सामानों के साथ होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पुहंचकर घेराबन्दी करते हुए दोनों व्यक्तियों को पकड़कर नाम पता पूछते हुए तलाशी ली गई तो एक व्यक्ति उमेश पुत्र राजाबाबू निवासी गड़रिया थाना जसपुरा के कब्जे से अवैध तमंचा एवं कारतूस सहित 3750 रुपए नकद आदि बरामद हुए। कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि वे दोनों अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अलग-अलग जनपदों में घूम-घूम कर चोरी करते है। तथा माह फरवरी महिने राजकीय हाईस्कूल से इलेक्ट्रानिक सामानों की एवं माह मई एक किराने की दुकान से लाही/सरसो, गुटखा आदि की चोरी किए थे। कुछ सामानों के बेच दिया था तथा कुछ सामानों को आज बेचने जा रहे थे। मौके से बरामद बोरियों को चेक किया गया तो उनमें से चोरी के लाही/सरसो तथा गुटखा आदि बरामद हुए जिन्हे नियमानुसार कब्जे में लिया गया। तथा अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए साथ में घटना में शामिल एक बाल अपचारी को भी नियमानुसार संरक्षण में लिया गया। बता दें कि अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जिस पर अपने पिता के साथ मारपीट कर गम्भीर चोंट पहुंचाने आदि के साथ रंगदारी मांगने, हत्या के प्रयास एवं चोरी आदि के कई मामलें दर्ज है। इस सम्बन्ध में पुलिस टीम द्वारा और गहनता से पूछताछ कर जांच की जा रही है कि इनके द्वारा और किन-किन स्थानों और कितने से लोगों के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है।

बरामदगी-

- 01 बोरी में 29 किलोग्राम लाही/सरसों (चोरी के)
- 3750/ रुपए नकद (चोरी के सामानों की बिक्री से प्राप्त)
- 10 पैकेट गुटखा (चोरी के)
- 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. उमेश पुत्र राजा बाबू निवासी गड़रिया थाना जसपुरा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 12/26 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना जसपुरा जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 77/26 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना जसपुरा जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 90/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जसपुरा जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उमेश उपर्युक्त-

1. मु0अ0सं0 68/24 धारा 307/386/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जसपुरा जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 10/26 धारा 118(1)/351(3)/352 बीएनएस थाना जसपुरा जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 99/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
4. मु0अ0सं0 45/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना जरिया जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री ऋषिदेव सिंह प्र0नि0 थाना जसपुरा
2. व0उ0नि0 श्री प्रेम पाल सिंह
3. उ0नि0 श्री अवधेश शुक्ला
4. कां0 बसंतलाल यादव
5. कां0 अजीत यादव

कां0 सतेन्द्र पटेल